RajKaj Ref No.: 13210654

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी **(NIA 01)**/2025/ई–09984

आवेदन–पत्र प्राप्त करने हेतु विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय–III नियम 12(5)(i) के अन्तर्गत राज्य के अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र में खनिज मेसेनरी स्टोन के निम्नाकिंत आरक्षित प्लॉटों हेतु नियम 12B के प्रावधान अनुसार आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जाते हैं। डोमिसाईल शिड्यूल ट्राईब के नियमानुसार पात्र व्यक्ति दिनांक 20.02.2025 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। आवंटित किये जाने वाले खनन पट्टों (प्लॉट) का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. स.	कार्यालय का नाम जिसमें खनन प्लॉट स्थित हैं एवं प्लॉट कमांकः	खनन पट्टा (प्लॉट) का विवरण				प्लॉट का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खनिज का नाम	न्यूनतम प्रिमियम राशि	आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	एनेक्शर क्रमांक जहां प्लॉट का विस्तृत विवरण अंकित है, विज्ञप्ति के साथ संलग्न है तथा विशेष विवरण
		भूमि का प्रकार	राजस्व ग्राम	तहसील	जिला					
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 17 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय बिलानाम भूमि	जीवनपुरा	छोटीसादडी	प्रतापगढ	2.00	**मेसेनरी स्टोन**	400000	20.02.2025	एनेक्शर–1
2	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 20 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय बिलानाम भूमि	जीवनपुरा	छोटीसादडी	प्रतापगढ	2.00	**मेसेनरी स्टोन**	400000	20.02.2025	एनेक्शर–2
3	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 21 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय बिलानाम भूमि	जीवनपुरा	छोटीसादडी	प्रतापगढ	2.00	**मेसेनरी स्टोन**	400000	20.02.2025	एनेक्शर–3
4	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 25 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय बिलानाम भूमि	जीवनपुरा	छोटीसादडी	प्रतापगढ	2.00	**मेसेनरी स्टोन**	400000	20.02.2025	एनेक्शर–4
5	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 27 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय बिलानाम भूमि	जीवनपुरा	छोटीसादडी	प्रतापगढ	2.00	**मेसेनरी स्टोन**	400000	20.02.2025	एनेक्शर–5

RajKaj Ref No.: 13210654

6	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 63 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	200000	20.02.2025	एनेक्शर–6
7	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 64 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	200000	20.02.2025	एनेक्शर–7
8	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 66 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन (एम-सेण्ड हेतु)	200000	20.02.2025	एनेक्शर–8
9	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 67 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–9
10	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 68 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–10
11	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 69 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–11
12	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 70 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–12
13	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 71 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–13

RajKaj Ref No.: 13210654

14	खनि अभियंता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 72 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह	चाडोली	सीमलवाडा	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–14
15	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 10 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ	प्रतापगढ	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–15
16	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 13 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ	प्रतापगढ	1.50	मेसेनरी स्टोन	300000	20.02.2025	एनेक्शर–16
17	खनि अभियंता, प्रतापगढ़ प्लॉट क्रमांकः 15 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय भूमि	छोटीलांक	प्रतापगढ	प्रतापगढ	2.00	मेसेनरी स्टोन	400000	20.02.2025	एनेक्शर–17
18	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 26 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	राजकीय भूमि	दामड़ी	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–18
19	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 32 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह भूमि	दामड़ी	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–19
20	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर प्लॉट क्रमांकः 33 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह भूमि	दामड़ी	डूंगरपुर	डूंगरपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–20
21	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ प्लॉट क्रमांकः 13/2021 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह भूमि	सालमगढ़	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–21

RajKaj Ref No.: 13210654

22	खनि अभियन्ता, डूगंरपुर प्लॉट क्रमांकः 45 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह भूमि	फलोज	दोवडा	डूगंरपुर	1.3024	मेसेनरी स्टोन	260600	20.02.2025	एनेक्शर–22
23	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव प्लॉट क्रमांकः 2 (अधिसूचित अनुसूचित क्षेत्र) (डोमीसाईल हेतु रिर्जव)	चारागाह भूमि	महीडा	नयागांव	उदयपुर	1.00	मेसेनरी स्टोन	200000	20.02.2025	एनेक्शर–23

(अ) महत्वपूर्ण बिंदू:–

1 विज्ञप्ति में वर्णित प्लाटों पर खनन पट्टों की आवंटन की अवधि संविदा पंजियन दिनांक से 50 वर्ष के लिये होगी।

2 आंवटित किये जाने वाले प्लॉटों की लोकेशन एवं अन्य सूचनाऐं उपरोक्त तालिका में कॉलम संख्या 11 पर अंकित एनेक्चर अनुसार है। उक्त सुचना विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है, जहां से डाउनलोड की जा सकती है। उक्त प्लॉटों हेतु जहॉ है, जैसे है के आधार पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे है। आवेदक सीमा स्तम्भों के अक्षान्तर एवं देशान्तर के आधार पर प्लॉट का निरीक्षण अपने स्तर पर करेगा। प्लॉट की स्थिति, उपलब्ध खनिज, पहुंच के रास्ते एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं इत्यादि बाबत् आवेदक पूर्ण रूप से आवेदन लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त करेगा। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें बाद में स्वीकार नहीं की जायेगी।

3 आवेदनकर्ता को विभागीय पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र में प्रस्तुत करना होगा, आवेदन में वर्णित सभी दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

4 आवेदन प्रस्तुत करने की निर्धारित तिथि तक आवेदन कर्ता को आवेदन मय सम्बन्धित दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति तथा मूल शपथ पत्र इत्यादि दस्तावेज मूल ही निदेशालय के नीलामी प्रकोष्ठ में प्रस्तुत किये जाने होंगे। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा अपूर्ण आवेदन मान्य नहीं होगें।

5 यदि एक प्लॉट हेतु दो से अधिक पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो ऐसे प्लॉट का आवंटन ई–नीलामी के माध्यम से होगा।

6 खनन पट्टों की ई–नीलामी प्रीमियम राशि की होगी तथा प्रीमियम राशि खननपट्टा अवधि में केवल एक बार जमा करानी होगी। उच्चतम बोलीदाता को प्रीमियम की राशि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 13 के तहत 4 किश्तों में जमा करानी होगी। प्रथम किश्त (बोली राशि की 40 प्रतिशत राशि के बराबर) ई–ऑक्शन पूर्ण होने की तिथि से 15 दिन में जमा करानी होगी, द्वितीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) संविदा निष्पादन के पूर्व, तृतीय किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) खनन पट्टा के द्वितीय वर्ष के प्रारंभ में व अंतिम किश्त (बोली राशि की 20 प्रतिशत राशि के बराबर) तृतीय वर्ष के प्रारंभ में जमा करानी होगी। उक्त प्रिमियम राशि का समायोजन स्थिर भाटक, रॅायल्टी इत्यादि में नहीं होगा।

7 यदि किसी प्लॉट हेतु डोमीसाईल शिड्यूल ट्राईब के व्यक्तियों का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होता है तो ऐसे प्लॉट को डोमोसाईल शिड्यूल ट्राईब श्रेणी के आरक्षण को समाप्त किया जाकर अनारक्षित प्लॉट की तरह आमजन को खुली ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किया जायेगा।

8 खननपट्टे का आंवटन की प्रक्रिया राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली 2017 एवं इसके तहत जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत होगी।

9 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

10 यदि कोई प्लाट की भूमि चारागाह भूमि /आंशिक चारागाह भूमि हैं, उनमें Rajasthan Tenancy (Government) Rules, 1955 के नियम 7 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतम बोलीदाता को उक्त प्लॉट में आने वाली चारागाह भूमि के बराबर खातेदारी भूमि राज्य सरकार को अध्यर्पित करनी होगी तथा नियमानुसार देय विकास शुल्क जमा कराना होगा। नियमानुसार भूमि के अध्यपर्ण हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार /सक्षम प्राधिकारी से चारागाह भूमि में खनन कार्य की अनुमति प्राप्त करने पर ही खनन पट्टा की स्वीकृति जारी की जावेगीं।

11 विज्ञापित प्लॉट राज्य के अनुसूचित क्षेत्र में आते हैं अतः राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 11(1) के प्रावधानों के अनुसार Rajasthan Panchayati Raj (Modification of Provisions in Their Application to the Schedule Areas), Act, 1999 (Act No. 16 of 1999) के अनुसार पंचायती राज संस्थान के सक्षम स्तर से पूर्व अनुशंषा प्राप्त करने के उपरान्त ही उच्चतम बोलीदाता के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृति किया जायेगा।

RajKaj Ref No.: 13210654

12 विज्ञप्ति के क्रम संख्या 6 से 8 पर अंकित प्लॉट को राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 12 के तहत केवल एम सेण्ड यूनिट हेतु आरक्षित किया गया है। उक्त प्लॉट के संबंध में आवंटी एमसेण्ड नीति 2024 एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अनुसार एवं समय–समय पर संशोधन अनुसार नियमों की पालना हेतु बाध्य रहेगा। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 28(2)(IV)(ee) के अनुसार उपरोक्त आरक्षित किये गये खननपट्टें से निर्गमित खनिज का उपयोग केवल एमसेण्ड हेतु किया जायेगा। उपरोक्त खननपट्टें से निर्गमित खनिज को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अन्यत्र बेचान /हस्तान्तरित/ निस्तारित नहीं कर सकेगा। उक्त नियम के परन्तुक के अनुसार एमसेण्ड निमार्ण के दौरान अन्य उत्पाद जिसका एमसेण्ड के रूप में निर्गमन नहीं किया जा सकता उसको पट्टाधारी रॉयल्टी मय डीएमएफटी व अन्य शुल्क का भुगतान कर ई–रवन्ना के माध्यम से निर्गमित कर सकता है।

13 Rajasthan Investment Promotion Scheme,2024 तथा उसमें समय–समय पर होने वाले संशोधन अनुसार प्रावधान नये एम–सेण्ड यूनिट पर लागू होगें।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

क्रमांकः निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी(**NIA 01**)/2025/ई–09984

प्रतिलिपि :–

1– नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2 – नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

3– निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :–

अ– अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।

ब – अधीक्षण खनि अभियंता – उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स – खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी–I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/सोजत/उदयपुर/राजसमन्द–I/II/आमेट/भीलवाडा/चित्तोडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/ डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

द –सहायक खनि अभियन्ता, टोंक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/हनुमानगढ/चुरू/ नीमकाथाना/सावर/खेतड़ी।

(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bhagwati Prasad Kalal
Designation : Director
Date :27-01-2025 12:08:42